

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 16/9/2020 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है :-

Residential	Park	I.C.	P.U.	Road
51167 वर्गफीट 56.61 प्रतिशत	6081 वर्गफीट 6.72 प्रतिशत	1300 वर्गफीट 1.43 प्रतिशत	1807 वर्गफीट 2.00 प्रतिशत	30029 वर्गफीट 33.24 प्रतिशत

कुल क्षेत्रफल - 90384 वर्गफीट

- (1) पहुंच सड़क का मागाधिकार न्यूनतम 40' एवं अधिक प्राप्त होने पर अधिक रखा जावे।
- (2) टउनशिप पॉलिसी-2010 की पालना सुनिश्चित की जावे।
- (3) योजना में 5 प्रतिशत पार्क एवं पी.यू. रखा जावे।
- (4) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का ब्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरंत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (5) नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(77)नवि/3/2009 पार्ट IV जयपुरदिनांक 4/4/19 की पालना की जानी होगी।
- (6) नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/8/2020 के अनुसार प्रावधान रखे जाने होंगे।

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

योजना के आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं० 39 से 44 (कुल 6 भूखण्ड) कुल क्षेत्रफल 6618 वर्गफीट आरक्षित किये जाते हैं, जिसे मुलाबी रंग से दर्शाया गया है।
12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को खन रखे जाने हेतु मॉनेज डीड संपादित करवाये। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरंत नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।

नगर विकास न्यास, कोटा

